Gcms no— 2022/225

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

गिरधर कंवर व अन्य बनाम चंवर सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट 1956 अपील संख्या 128/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी श्री अक्षय नाथ देवडा एड. उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एडमिशन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2022 लोक अदालत की भावना से लोक अदालत में पारित किया गया है तथा लोक अदालत में पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध अपील का सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट की अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील न्यायालय हाजा के स्तर पर पोषणीय नहीं होने पर अपील वापस लौटाई जाती है। न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	मूल अपील प्राप्त की 23/9/22